



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी- 1621

दिनांक : 6.11.2023

प्रति,

1. समस्त संभागीय लेखा अधिकारी संवर्ग(श्रेणी अनुसार)
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., जल संसाधन विभाग,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति सभी संभाग
2. समस्त संभागीय अधिकारी,
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., जल संसाधन विभाग,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति सभी संभाग

विषय:- मासिक विनियोग लेखे सम्बन्धी व्यय आकड़ों का पुनर्मिलान वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही (जुलाई-2023 से सितम्बर-2023) विषयक।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. नि.वि.1/समूह-2/डी-48 दिनांक 09.04.2021

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा माह 07/2023 से माह 09/2023 तक के निर्माण संभागों से प्राप्त लेखाओं के संकलन पश्चात सम्बंधित आंकड़े कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड किये जा चुके हैं। अपलोड किये गए आंकड़ों का संभागीय आंकड़ों से पुनर्मिलान की कार्यवाही कर इस आशय का समेकित प्रमाणपत्र PDF Format में इस कार्यालय को दिनांक 07.11.2023 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही, निर्माण संभागों के कोषालयों से सम्बंधित स्थापना इत्यादि आय-व्यय का माह 07/2023 से 09/2023 तक की अवधि का द्वितीय तिमाही का पुनर्मिलान कार्य ग्वालियर कार्यालय में किया जाकर प्रमाणपत्र 15.11.2023 को भिजवाने की कार्यवाही करें।

अतः, समस्त संभागीय लेखा अधिकारी संवर्ग को निर्देशित किया जाता है कि माह 07/2023 से 09/2023 तक के निर्माण पुनर्मिलान सम्बन्धी प्रमाणपत्र (Consolidated) तिमाही आधार पर तत्काल इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

इसे उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

दिनांक : .11.2023

क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

समस्त प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (लो.नि.वि.), जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं सदस्य (वित्त) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

Gr.2/Misc./Reconciliation